तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 01 R10 CPC प्रस्तुत हुई। प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 01 R10 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादिनी तथा उनके पति सोहनलाल द्वारा अपने बयानों में उल्लेख किया गया है कि वादिनी का अपने हिस्से पर कब्जा है तथा उनके हिस्से पर अशोक मालव पुत्र मदनलाल काश्त कर रहा है। उक्त बयान के मद्देनजर अशोक मालव प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि अशोक मालव ही यह प्रमाणित करेगा कि भूमि पर वादिनी का कब्जा है या नहीं। प्रार्थीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा अपने पिता की आराजी में से हिस्से को प्राप्त करने के लिए घोषणा, स्वत्वाधिकार का वाद प्रस्तुत किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थीगण द्वारा केवल प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन करने का प्रतिवादीगण के पास समुचित अवसर है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। बहस प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर, प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा वर्णित किया गया है कि उक्त भूमि के पूर्व खातेदार ने अपनी पुत्र पुत्रों को भूमि दान कर खातेदारी बाबत सहित मौके पर कब्जा दे दिया था। वादिनी के कभी भी किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं रहा तथा ना ही कभी लगान भरा गया। क्योंकि वादिनी द्वारा अशोक मालव से भूमि करवाना बताया गया है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः कब्जा प्रमाणित करने हेतु अशोक मालव आवश्यक पक्षकार है। अशोक मालव ही वास्तविकता स्पष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा कौनसी किस्म पर कब-2 काश्त की गई तथा कौन से साल में कौनसी फसल की गई। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि धारा 188 में वाद लाने के लिए प्रत्यक्षतया अपना कब्जा प्रमाणित करना आवश्यक होता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि उनके द्वारा बयान में वर्णित आया है कि काश्त अशोक से कराते हैं। लेकिन मुनाफा काश्तकार लगातार बदलते रहते हैं प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। गवाह का प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गम्भीरतापूर्वक मनन किया। हमारे विनम्र मत में मुनाफा कारोबार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। समस्त पक्षकारों को अपना-2 पक्ष स्पष्ट दस्तावेजों व अपने-अपने साक्ष्यों से प्रमाणित करना है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O1 R10 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 16/11/25 को पेश हो। 09/11/25